RR No. 3072
21-3-2012

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

कमांकः एफ.2(1)साप्र/2/2012 जयपुर, दिनांक 14 MAR 2012

–: आदेश :–

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटित किये जाते हैं :–

क. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1	15/2011	श्री सय्यद मोहम्मद नजम सहायक निदेशक, यूनानी चिकित्सा निदेशालय विभाग, जयपुर	II/44, गांधीनगर	31.7.2017
2	17/2011	डॉ0 प्रभु दयाल उप निदेशक, निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर	एम–11, गांधीनगर	31.5.2016
3	18/2011	श्री गौरव बजाज आर.ए.एस. विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।	एम–14, गांधीनगर	30.11.2030
4	22/2011	डा0 जे. पी. नागा उपनिदेशक, कृषि कार्यालय संयुक्त निदेशक गुण नियंत्रण दुर्गापुरा जयपुर	II/19, गांधीनगर	28.2.2027
5	26/2011	डॉ0 रामजीलाल मीना उप निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय पशुपालन विभाग, राजस्थान।	एन–26, गांधीनगर	31.8.2020
6	29/2011	श्री डी. के. नागोरी संयुक्त निदेशक कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग, जयपुर	एन–30, गांधीनगर	31.3.2015
7	30/2011	डॉ0 संजीव जयसवाल, असिस्टेन्ट प्रोफेसर सर्जरी, सवाई मानसिंह चिकित्सा, जयपुर	2/3, हीराबाग (2/6 के स्थान पर)	30.6.2034
8	49/2011	श्री अनिल कुमार चौबीसा अधिशाषी अभियन्ता, (अप्रेजल) नहर निदेशालय आई. डी.आर., जयपुर	701, मॉडल टाउन, मालवीयनगर	30.9.2019
9	1/2012	श्री ललित दाधीच उप निदेशक (एसएचजी) महिला अधिकारिता, जे–7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर	704, मॉडल टाउन, मालवीयनगर	31.5.2025
10	2/2012	डॉ0 राजमणि सहायक आचार्य, मेडिसिन, (वर्तमान में सीनियर रेजिडेन्ट) चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर	2/5, हीराबाग	31.3.2034
11	3/2012	श्री डूंगरसिंह अधिशाषी अभियन्ता यांत्रिक, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, जयपुर	5/6, हीराबाग	30.4.2020
12	4/2012	श्री राजीव जैन आरएएस शासन उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग शासन सचिवालय जयपुर	703, मॉडल टाउन, मालवीयनगर	30.9.2021

OIC (Web)
21-3-2012

शर्तेः–

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।

6. चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।

7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-- कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

9. कम संख्या 8, 9, तथा 12 पर अंकित अधिकारियों से "कॉमन सुविधा" शुल्क राशि रुपये 300/-- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेगें।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

(गनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, युनानी चिकित्सा विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
8. उप सचिव (वीपी), मुख्यमंत्री कार्यालय।
9. संयुक्त निदेशक, गुण नियंत्रक, दुर्गापुरा, जयपुर।
10. आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, जयपुर।
11. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
12. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
13. अधीक्षण अभियन्ता, अप्रोजल नहर निदेशालय, आई.डी.आर., जयपुर।
14. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, आई.डी.आर., जयपुर।
15. निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. अधीक्षण अभियन्ता, यांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-I, जयपुर।
17. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
18. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
20. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर/मालवीयनगर/हीराबाग, जयपुर।
21. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
22. समस्त संबंधित अधिकारीगण।
23. निदेशक, उद्यान विङ्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
24. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर/हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
25. डॉ0 संजीव जयसवाल, असिस्टेन्ट प्रोफेसर सर्जरी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर-कृपया परिवर्तित आवास संख्या 2/3, हीराबाग का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास 2/6, हीराबाग रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
26. शासन सहायक सचिव (नोडल अधिकारी) सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
27. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
28. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
29. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव